स्वच्छता अभियान बनाम गंदगी का उत्पादन

डॉ. रामप्रताप गुप्ता

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारों में से एक नारा "स्वच्छ भारत अभियान" का भी है। श्री मोदी ने स्कूल के बच्चों से कहा कि "अब हमारा कर्त्तव्य है कि गंदगी दूर करके भारत की सेवा करें।" इसके साथ ही उन्होंने झाड़ू हाथ में लिया और सफाई कार्य में जुट गए। देश के प्रधानमंत्री के हाथ में झाड़ू देखते ही देश के सभी छोटे-बड़े नेता, अधिकारी-कर्मचारी वर्ग हाथ में झाड़ू थामे सफाई कार्य में जुट गए। स्वच्छता से आशय गंदगी से मुक्ति है, अतः स्वच्छता, सफाई कार्य का दूसरा पहलू निकलने वाली गंदगी है। उसका क्या किया जाए, उसे कहां फेंका जाए, इस प्रश्न पर भी विचार आवश्यक है।

भारत की जाति व्यवस्था में नागरिकों के आवास के बाहर फेंके गए कचरे की सफाई का दायित्व मेहतर, भंगी की श्रेणी में आने वाली जातियों का है जिन्हें हमारी जाति व्यवस्था में निम्नतम स्थान प्राप्त है। सड़कों के सफाई कार्य में निकलने वाली गंदगी पूर्व में मुख्य तौर पर जैविक पदार्थों जैसे सब्ज़ियों, फलों के छिलके आदि की होती थी और उसका जैविक खाद के निर्माण में आसानी से उपयोग हो जाता था। इस तरह सफाई की प्रक्रिया में निकलने वाली गंदगी कोई समस्या न होकर एक उपयोगी पदार्थ थी जिसका उपयोग कृषि उत्पादन में होता था।

पिछले 50 वर्षों से आम भारतीय विकास के साथ-साथ उपभोक्ता संस्कृति का भी शिकार होता गया। उसके लिए विकास का अर्थ ही उपयोग के लिए नई-नई चीज़ें उपलब्ध होना है। आज के भोजन में घर में निर्मित वस्तुओं के स्थान पर कंपनियों द्वारा निर्मित और बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कंपनियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को 'फास्ट फुड' कहा जाता है। कंपनियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उसे खराब होने से बचाने के लिए उसे प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की थैली में लपेट दिया जाता है। इन्हें उपयोग करने के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है। इसी वजह से वर्तमान में निकलने वाला कचरा पूर्व की तरह जैविक पदार्थों का न होकर समय के साथ नष्ट न होने वाले पदार्थों वाला होता है। इसे आबादी से दूर फेंका जाता है। जिस प्लास्टिक का पुनर्चक्रण संभव होता है उसे गरीब बच्चों, महिलाओं द्वारा बीनकर कचरे के व्यापारी को बेच दिया जाता है। वे इसका पुनर्चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनाते है। परंतु कचरे में पाया जाने वाला अधिकांश प्लास्टिक ऐसा होता है जिसका पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है और वह हमेशा पड़ा रहता है। उपभोग वृद्धि के साथ निकलने वाला कचरा भी अधिक हो गया है।

वर्तमान में निकलने वाले कचरे का अनुमान इससे लगता है कि दिल्ली में प्रतिदिन 9000 टन और चेन्नई में प्रतिदिन 6000 टन कचरा निकलता है। अन्य शहरों में भी कचरे की मात्रा ऐसी ही होती है। स्थानीय निकायों के समक्ष एक बड़ा प्रश्न यह होता है कि इस कचरे को कहां फेंका जाए। उनके लिए पूर्व में निर्मित परन्तु वर्तमान में सूखे तालाब, छोटी नदियां-नाले, प्राकृतिक गड्ढे आदि उपयुक्त स्थान के रूप में उभर कर सामने आते हैं।

इंदौर नगर के बीच बहने वाली खान नदी ऐसे ही कचरे से पाट दी गई थी जिसे अब करोड़ों की लागत से पुनः साफ किया जा रहा है। जिस किसी स्थान पर कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसकी ऊंचाई शीघ्र ही 2-3 मंजिला मकान के बराबर हो जाती है और नगर के स्थानीय निकाय को कचरे के लिए कोई दूसरा स्थान तलाश करना पड़ता है।

स्थानीय निकायों के पदाधिकारी गरीबों की बस्तियों के निकट कचरा फेंकने पर उनके लिए उत्पन्न समस्याओं के प्रति कितने असंवेदनशील होते हैं, इसका आभास चैन्नई के मेयर द्वारा एक जनसुनवाई में एक प्रश्न के उत्तर से मिलता है। सन 2010 में मेयर ने गरीबों की बस्तियों के निकट

कचरा डालने के औचित्य को समझाते हुए कहा कि जिस तरह किसी आवास गृह में टायलेट्स होते हैं, उसी तरह गरीब बस्तियों के निकट नगर से निकलने वाले कचरे के ढेर नगर के टायलेट्स हैं और बस्तियों को उन पर गर्व करना चाहिए। समस्त नगर की साफ-सफाई के लिए ज़िम्मेदार मेयर गरीबों की बस्तियों की साफ-सफाई तो दूर, वहां सारे नगर के कचरे को संग्रहित करना चाहते हैं। निश्चित ही वे अकेले ऐसे जन प्रतिनिधि नहीं होंगे।

जब कचरे से प्रभुत्वशाली वर्ग प्रभावित होता है, तब वह स्थानीय निकायों को कचरे से उत्पन्न समस्याओं, जैसे गंध, हवा के साथ उड़ने वाला कचरा आदि को हल करने के लिए बाध्य कर देते है। चैन्नई में जब पेरून्गुडी में दूसरे ढेर को समतल करके निकाली गई भूमि के पास प्रसिद्ध सूचना प्रौद्योगिकी नगर बसाया गया तो बदबू की समस्या के हल के लिए नगर निगम पर भारी दबाव आया। वहां कचरे को डाला जाना बंद कर दिया गया और वहां पानी भरने से कचरे से निकलने वाली बदबू की समस्या के हल के लिए वर्षा के पानी के मार्ग को बदल दिया गया।

गंदगी से मुक्ति और स्वच्छ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें दोतरफा नीतियां अपनाना होगी। प्रथम तो गंदगी के उत्पादक उपयोग की दिशा में प्रयास करना और द्वितीय ऐसी जीवन शैली अपनाना जिसमें कम मात्रा में गंदगी निकले। गंदगी के उत्पादक उपयोग की दिशा में दिल्ली का पूर्वी भाग गाज़ियाबाद है जहां गंदगी की अब तक फेंकी गई कुल मात्रा 50 लाख टन है। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एवं फाइनेंशियल कंपनी के साथ मिल कर कचरे के उपयोग की एक योजना बनाई है। दोनों ने मिलकर कचरे से बिजली उत्पादन के लिए एक इकाई स्थापित की है जिसमें प्रतिदिन 1300 टन कचरे के उपयोग से 12 मेगावाट बिजली बनेगी। यह इकाई 31 मार्च 2015 को चालू करने की योजना थी। अन्य शहरों को भी इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए और कचरे को समस्या की बजाय संसाधन मानना चाहिए। दूसरी ओर, हमें ऐसी जीवन शैली अपनाना चाहिए जिसमें कचरे की कम मात्रा निकले। परन्तु हमारी आर्थिक नीतियों में इस दिशा में सोचा ही नहीं गया है। बल्कि हम दिनों दिन कचरे की मात्रा में वृद्धि हो, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

प्रायः शहर में भी कचरे को कहां संग्रहित किया जाए, यह बहुत कुछ हमारी जाति और वर्ग में विभाजित सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। शहर का कचरा प्रायः निम्न वर्ग (जाति/आर्थिक) की बस्तियों के निकट फेंका जाता है। श्रेष्ठी वर्ग के स्वामित्व वाले उद्योगों से निकलने वाले कचरे से निकलने वाली बदबूदार और हानिकारक गैसों का शिकार भी प्रायः यही वर्ग होता है। कई बार कचरे को गरीब बस्तियों के निकट भूमि में गाड़ दिया जाता है जिससे वहां का भूजल भी प्रदूषित और ज़हरीला हो जाता है। कुल मिलाकर कचरे की सारी व्यवस्था उसे संपन्न वर्ग की बस्तियों से हटाकर गरीब वर्ग की बस्तियों के निकट ही संग्रहित करने की होती है या उसे कहीं जला दिया जाता है। संग्रहित कचरा बरसात के मौसम में पानी मिलने से बदबूदार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें निकालता है जिसके विषाक्त प्रभाव का शिकार गरीब वर्ग ही होता है।

मोदी जी के दूसरे नारे 'मेक इन इंडिया' का अर्थ है कि वस्तुओं का उत्पादन भारत में हो और उसे निर्यात कर दिया जाए। इस प्रक्रिया में निकलने वाले औद्योगिक प्रदूषण और कचरे का शिकार तो भारतीय ही होंगे। उत्पादन वृद्धि के साथ ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वृद्धि का मुख्य प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों को ही झेलना पड़ता है, कई बार उन्हें अपने पीढ़ियों के निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। स्वच्छ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपनी सारी विकास और उपभोग नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। उपयोग में निरंतर और अधिकाधिक वृद्धि के लक्ष्य को त्याग कर अपने उपयोग को सीमित रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो विश्व के विकसित और विकासशील राष्ट्रों के सामने नया जीवन दर्शन प्रस्तुत कर सकेंगे। हमें वर्तमान उत्पादन वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावों को निरंतर स्मरण रखना होगा। औद्योगिक उत्पादन के प्रतिकूल प्रभावों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

1. आज से 31 वर्ष पूर्व भोपाल के एक कारखाने से रिसकर निकली ज़हरीली गैस मिक के कारण आसपास रहने वाले 10,000 से 12,000 लोग तो तत्काल मृत्यु के शिकार हो गए और हज़ारों लोगों का स्वास्थ्य हमेशा के लिए प्रभावित हुआ। कारखाने के निकट के क्षेत्र की ज़हरीली मिट्टी आज तक भी वहां से हटाई नहीं जा सकी है। कोई भी क्षेत्र उसे अपने यहां डालने नहीं दे रहा है। सरकार कारखाने के स्वामी को इस हत्याकांड के लिए दंडित करने में असफल रही है।

2. दक्षिण के हिल स्टेशन कोडाईकेनाल में हिन्दुस्तान युनीलीवर की थर्मामीटर बनाने की एक इकाई है जिसके कारण उस हिल स्टेशन की भूमि में पारे की मात्रा काफी बढ़ गई है। सरकार को युनीलीवर को इस पर्वतीय स्थल की भूमि को ज़हरीली पारे से मुक्त करने को बाध्य करना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं कर सकी। इस पर्वतीय स्थल पर प्रति वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं और वहां मिट्टी में मिले पारे के दुष्प्रभावों का शिकार होते हैं।

3. सरकार परमाणु बिजली को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से मुक्त मानती है और इस पंचवर्षीय योजना में 20 नए परमाणु बिजली घरों की स्थापना करने वाली है। परमाणु बिजली से निकलने वाले कचरे में से सैकड़ों वर्षों तक रेडिएशन निकलता रहता है। इस कचरे को कहां रखा जाए इस प्रश्न का कोई उत्तर सरकार के पास नहीं है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत को उत्पादन व उपभोग वृद्धि पर आधारित विकास के दर्शन से मुक्ति प्राप्त करना होगा। 'मेक इन इण्डिया' और उसे निर्यात करने जैसी नीतियों से मुक्ति प्राप्त करना होगी। हम महात्मा गांधी के देश के हैं जो प्रकृति पर दुष्प्रभाव डाले बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे। देश के चंद अरबपतियों के द्वारा किए जाने वाले तड़क-भड़क पूर्ण उपभोग पर रोक लगाकर उन संसाधनों को गरीब वर्ग की अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे आवास, पोषण युक्त भोजन, वस्त्र आदि की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।

देश को स्वच्छ रखने का कार्य कुछ लोगों द्वारा कुछ समय के लिए झाड़ू हाथ में लेने से नहीं होगा। स्वच्छता के लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपभोग के वर्तमान ढर्रे के स्थान पर नया सादगी पूर्ण जीवन दर्शन अपनाना होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***

शैक्षणिक संदर्भ

विज्ञान और शिक्षा से सम्बन्धित विविध मुद्दों और विषयों पर परत दर परत खुली चर्चा करती एक बेबाक पत्रिका

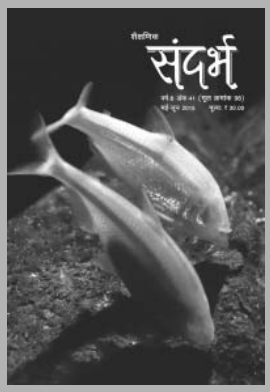

• विज्ञान • विज्ञान शिक्षण • बच्चों और शिक्षकों के साथ अनुभव • कहानी
• शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण विधि • पुस्तक अंश / पुस्तक समीक्षा • भाषा शिक्षण

वार्षिक सदस्यता शुल्क
व्यक्तिगत - 150 रुपए
संस्थागत - 300 रुपए
एक अंक की कीमत - 30 रुपए, कुल पृष्ठ- 92

सदस्यता शुल्क एकलव्य, भोपाल के नाम ड्राफ्ट या मनीऑर्डर या मल्टीसिटी चेक से भेजें।